कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 21/11/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांकः जून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020, दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 20.11.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चौकी प्रभारी संतोष कुमार यादव भीमापार मय हमराहीयान के थाना हाजा से रवाना होकर क्षेत्र भ्रमण, रात्रि गश्त, दबिश तलाश वाँछित व चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति के दौरान बहदग्राम जगदीशपुर, जगदीशपुर तिराहा थाना सैदपुर से 01 नफर अभियुक्त रोशन राजभर पुत्र विजय राजभर निवासी ग्राम डरमोहर कौडा थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष के पास से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर गाजीपुर बरामद हुआ । फर्द बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 257/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट हुआ। जिसके सम्बन्ध मे अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01 . रोशन राजभर पुत्र विजय राजभर निवासी ग्राम डरमोहर कौडा थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष ।

अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 257/24 धारा 3/25 आर्म्स थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी-

01. अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

02. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 172/24 धारा 87,137(2) बीएनएस मे वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध तथा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.11.2024 को उ0नि0 श्री गामा लाल मय हमराह द्वारा थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/24 धारा 87,137(2) बीएनएस मे वांछित चल रहे अभियुक्त सोनू कनौजिया पुत्र संतलाल कनौजिया नि0 मलेठी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

को दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01.सोनू कनौजिया पुत्र संतलाल कनौजिया नि0 मलेठी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 172/24 धारा 87,137(2) बीएनएस थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

03. थाना रामपुर मांझा पुलिस द्वारा फौ0 मु0 नं0 94/18 धारा 504/507 भादवि से संबंधित 01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.11.2024 को उ0नि0 गजेन्द्र राय मय हमराह द्वारा दबिश देते हुए वारण्टी मोतीलाल पुत्र रामवृक्ष यादव नि0 ग्राम शिवदासी चक थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर संबंधित फौ0 मु0 नं0 94/18 धारा 504/507 भादवि को वारण्टी उपरोक्त के घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा वारण्टी के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता–

01.मोतीलाल पुत्र रामवृक्ष यादव नि0 ग्राम शिवदासी चक थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 63 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0401/2017 धारा 504,506 भादवि थाना-करण्डा,जनपद-गाजीपुर

04. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत गाजीपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें मे प्रभावी पैरवी कर 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 18000/- रू0 अर्थदण्ड की दिलाई गयी सजा –

दिनांक 20.11.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सादात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2021 धारा 304बी, 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त विजय राम पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम कटयॉ थाना सादात जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त विजय राम उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 304बी में 10 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 498ए में 02 वर्ष का कारावास व 3000/- रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास व ¾ डीपी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15000/- रू0 अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

05. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान"OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत गाजीपुर पुलिस द्वारा हत्या एवं बलात्कार के मुकदमें मे प्रभावी पैरवी कर 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30000/- रू0 अर्थदण्ड की दिलाई गयी सजा –

दिनांक 20.11.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बहारियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/2020 धारा 302, 376, 511 भदावि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त भीम कुमार पुत्र विक्रमा राम निवासी खाजेपुर थाना बहारियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त भीम कुमार उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए धारा

302 भदावि में आजीवन कारावास व 30000/- रू0 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास, व धारा 376, 511 भदावि में 10 वर्ष का कारावास व 10000/- रू0 अर्थदण्ड,अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर